Shri Humayun Kabir: I have already stated that we have increased it by 11,000 tons in the last two months. That is by diverting supplies.

Shri Jedhe: May I know from the Minister as to why the scarcity of oil is there?

Shri Humayun Kabir: I have already explained in the statement that the scarcity arose because suddenly the demand went up. We were not given any advance notice. For the first time, only on the 12th November, the Maharashtra Government informed us that they were short of Light Diesel Oil and we immediately rushed supplies.

Shri Hem Raj (Kangra): May I know whether it is a fact that due to the shortage of Light Diesel Oil, the *kisans* have to purchase it in the black market?

Shri Humayun Kabir: I am not aware of that. I can guarantee the supply of the allocations for every State. But within the State, the State Government will have to make the arrangements for distribution.

श्री भा० वा० देशमुख (औरंगाबाद) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि महाराष्ट्र में लाइट डीजल आयल न मिलने के कारण हजारों आयल इंजन काम में नहीं आ रहे हैं, जिससे पैदावार का प्रोग्राम असफल हो रहा है और आइन्दा सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है ?

Shri Humayun Kabir: I have already informed that as soon as an intimation was given to us, we rushed the supplies there. But the hon. Members must also realise one thing. Light Diesel Oil has to be produced and there has to be a programme and, therefore, unless an advance intimation is given, it takes time to make the supplies. Here, suddenly the demand increased almost two-fold. As I gave the figures, the consumption in Maharashtra was of the order of 9,217 tons in October, 1964 and this time we have given 17,133 tons, that is, almost double the quantity.

श्री तु० अ० पाटिल (उस्मानाबाद) : महाराष्ट्र में वर्षा न होने के कारण खाद्यान्नों की जो कमी हुई है, उस को दूर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पांच हजार आयल इंजन किसानों को दिये हैं और तकरीबन उतने ही आयल इंजन लोगों ने खरीदे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए डीजल आयल सप्लाई करने वाली तेल कम्पनियों को यह हिदायत करेगी कि वे फौरन जरूरी क्वोटा पहुंचा दें और किसानों को उसका वितरण भी फौरन हो जाये ?

Mr. Deputy-Speaker: He has already answered.

Shri Humayun Kabir: In a sense, I have already answered this question because we have increased the quota. I may also add here that we have also told the Maharashtra Government to take steps to see that this light diesel oil does not go into the black market for use in motors, as is sometimes the case.

An hon. Member: That will go more into the black market.

Shri Dighe (Kolaba): What are the actual demands for the month of November, 1965, of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan?

Shri Humayun Kabir: Certain demands had been made and they were examined. Ultimately it was settled that Maharashtra would get in the month of November, 1965, 15,500 tonnes. For December, it is under examination.

16:42 hrs.

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

श्री मधु लिमये (मोंघिर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे यह शिकायत करनी है कि यहां पर शिक्षा मंत्री या उनका कोई नायब मंत्री वगैरह मौजूद नहीं है। विधेयक उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है . . .

Shri Daji: The Minister probably thought that the matter was over.

Mr. Deputy-Speaker: The Minister has come now.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रहमियत का सवाल है मैं समझता हूं कि जिस बात को लेकर इतनी गरम बहस हो रही है, वही मामूली तीसरे और चौथे दर्जे की है। दूसरे बहुत से सवाल हैं इस वक्त देश के सामने, जैसे गरीबी मिटाना या सुरक्षा का सवाल। लेकिन चूंकि इस पर बहस चल पड़ी है, इसलिये मैं समझता हूं कि उससे भाग जाना अच्छा नहीं है, जैसा कि सरकार कर रही है।

यह विधेयक सरकार द्वारा पेश किया गया और राज्य सभा में यह जो तरमीम पेश की गई वह स्वयं चागला साहब ने पेश की है, और उन्होंने अपने भाषण में राज्य सभा में यह कहा कि हिन्दुस्तान का जो संविधान है उसके मुताबिक यह तरमीम है, इसलिये इसको स्वीकृत करना चाहिये।

जब यहां पर हिन्दू और मुसलमानों के बीच में पृथकता और अलगाव को खत्म करने की बात चल रही है और एक साहसपूर्वक कदम उठाया गया है, एक हिम्मत का काम किया गया है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अब सरकार इसके बारे में अपनी ठोस नीति क्यों नहीं बताती है। उन्होंने कहा कि लोक-सभा के सदस्यों के लिये छूट है और वे चाहे जिस सुझाव के हक में वोट दे सकते हैं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी अपनी जो नीति है वह सदन के सामने साफ-साफ आनी चाहिये। लोक-सभा के कांग्रेसी सदस्यों को जो उन्होंने आजादी दी है, उसका केवल इतना ही मतलब होगा कि जो यहां पर सुझाव पास होगा उसके आधार पर सरकार का गिरना न गिरना निर्भर नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।

इस सरकार की नीति ऐसी हो गयी है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। दो तरफी बात यह सरकार हमेशा करती है। प्रान्तीयता को उभारने का काम इस सरकार ने किया। एक अरसे तक सरदार पटेल ने और पंडित नेहरू ने कहा कि भाषिक राज्यों का निर्माण राष्ट्रीय एकता के लिये अच्छा नहीं है। फिर भाषिक राज्यों का निर्माण करने के लिये कमीशन बैठाया गया। कमीशन की रपट आने के बाद भाषिक राज्यों के सिद्धान्त पर अमल नहीं किया जिस के फलस्वरूप हमारे देश में प्रान्तीयता और फूट की प्रवृत्तियां फैलने लगीं।

उसके बाद भाषायी विद्वेष को भड़काया गया, हिन्दी बनाम दूसरी भाषाओं का झगड़ा यहां पर लगाया गया और देश की एकता की एक-एक ईंट को उखाड़ कर फेंकने का काम इस सरकार ने चलाया और वह मंत्र जपती रही राष्ट्रीय एकता का। इसी तरह से नागा प्रदेश के संबंध में किया गया और काश्मीर के मामले में किया गया, वहां अलगाव वाली प्रवृत्तियों को इस सरकार ने प्रोत्साहन दिया और आज भी दे रही है और साथ साथ यह सरकार राष्ट्रीय एकता की बात भी करती है।

अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस तरमीम को स्वीकृत किया गया है। चागला साहब ने इसको रखा, अच्छा काम किया, अलगाव दूर करने का काम किया। लेकिन आज धार्मिकता को उभारने का काम भी सरकार कर रही है।

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा समझती थी कि इस विश्वविद्यालय के नाम में 'हिन्दू' शब्द रह जाता तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त टूटता ? मैं समझता हूं कि यह

[श्री मधु लिमये]

कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन जब सरकार ने इस बात को कबूल किया कि इससे धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त टूटता है, और हिन्दू और मुसलमानों के बीच में अलगाव खत्म करने के लिये उन्होंने कहा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी 'मुस्लिम' शब्द हटे और काशी विश्वविद्यालय में से भी 'हिन्दू' शब्द हटे, तो मैं समझता हूं कि अब मुस्तैदी के साथ सरकार को इस पर चलना चाहिये।

और जो धार्मिकता को उभारने का काम किया जा रहा है, आन्दोलन किया जा रहा है, उसके बारे में मैं कहूंगा कि लाठी और गोलियों से काम लेना अच्छा नहीं है। यह हम सभी लोगों की राय है। अगर यह सदन फैसला करता है कि काशी विश्वविद्यालय ही नाम रहना चाहिये। न किसी व्यक्ति का नाम जारी रहना चाहिये, न हिन्दू शब्द रहना चाहिये, तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों का और सरकार का यह फर्ज होगा कि वे काशी जायें, बनारस जाएं और छात्रों को समझायें कि ऐसा काम अच्छा है। लेकिन चूंकि कुछ लोग आन्दोलन कर रहे हैं, इस बिना पर इस फैसले से भागना मैं समझता हूं कि कायरता होगी और इसके बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे और कट्टर पन्थ हमारे देश में फैलेगा।

अलीगढ़ का मामला भी आने वाला है, और इसका लाजिमी नतीजा होगा कि उसमें भी 'मुस्लिम' शब्द रह जायेगा। अगर ऐसा हुआ तो श्री चागला ने जो अच्छा और बड़ा काम शुरू किया उस काम का क्या होगा? अगर इस मसले को छेड़ा नहीं जाता तो कोई बात नहीं थी। जब इस को छेड़ा गया है, और राज्य सभा में इसको स्वीकृत किया गया है, तो मैं समझता हूं कि हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम काशी विश्वविद्यालय के नाम पर भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दें।

लोग कहते हैं कि यह पुराना नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या "काशी विश्वविद्यालय" यह नाम पुराना नहीं है? क्या काशी शब्द की परम्परा बहुत पुरानी परम्परा नहीं है? क्या लोगों की भावनाएं इस शब्द के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं। खुद मालवीय जी चाहते थे कि इस विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय ही रहे, और कहा जाता है कि डा० एनी बिसेंट के कहने पर यह शब्द "बनारस हिन्दू यूनिवरसिटी" भी "काशी विश्वविद्यालय" के साथ-साथ रखे गए। आज भी उनकी जो मुद्रा है उसमें काशी विश्वविद्यालय शब्द मौजूद हैं। वहां की जो ईंटें हैं, वहां के जो पत्थर हैं, कई ईंटों और पत्थरों पर का० वि० वि० यह शब्द—जो शुरू के अक्षर हैं—लिखे हुए हैं। तो ऐसी हालत में यह कहना कि हम परम्परा से दूर भाग रहे हैं मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है और इसलिए मैंने जो यहां पर संशोधन रखा है मुझे उम्मीद है कि चागला साहब और सरकार और दूसरे लोग भी उसका समर्थन करेंगे।

एक और बात है कि अगर इस मामले में सरकार दब गयी तो कट्टर पन्थ हमारे देश में फैलगा और मैं केवल हिन्दू समाज की बात नहीं कह रहा हूं, दूसरे समाजों में भी कट्टर पन्थ फैलेगा, और राष्ट्रीय एकता का जो हमारा ख्वाब है वह चूर-चूर हो जाएगा। इसलिए इस पर अब डट कर हमें चलना चाहिए।

इस विधेयक के बारे में दो, तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनके कि विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो संशोधित 5 (ए) हैं उसमें जो वहां से जो विद्यार्थी छात्र पास होते हैं उनकी डिग्री को, डिप्लोमा को वापिस लेने का तानाशाही अधिकार दिया गया है। मैं समझता

हूं कि हर हालत में ऐसा तानाशाही अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ सीमा के अन्दर, कुछ मर्यादा के अन्दर यह अधिकार होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जहां तक चांसलर साहब की बात है उनका चुनाव तो वहां का कोर्ट करेगा लेकिन जो वाइस चांसलर हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि उनको नियुक्त किया जायेगा और उसकी प्रक्रिया इसमें मैं बताई गई है। मैं हर हालत में नामजदगी का जो सिद्धान्त है उसके खिलाफ़ हूं और इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो उपकुलपति हैं उनका चुनाव पूर्ण रूप से चुनाव की पद्धति से होना चाहिए। उसमें नामजदगी की बात बिल्कुल नहीं मानी चाहिए।

उसी तरह जो वहां का कोर्ट बनेगा उसके सम्बन्ध में स्टेट्यूट की 10(1) H और I यह जो उपधारा है उसमें विजिटर को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोर्ट के सदस्यों को नामजद करेंगे। नामजदगी का यह जो सुझाव है उसको बिल्कुल ठुकरा देना चाहिए क्योंकि जहां नामजदगी आयेगी वहां भाई-भतीजावाद आयेगा, प्रजातन्त्र खत्म होगा और विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं रहेगा बल्कि यह एक सरकारी विश्वविद्यालय बन जायेगा और उसमें से विद्या शब्द बिल्कुल छूट जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो काशी विश्वविद्यालय है उसका ढांचा पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक ढांचा होना चाहिए और नामजदगी के सिद्धान्त को उसमें से बिल्कुल हटा देना चाहिए।

उसी तरीके से जब झगड़ा होता है वहां के प्राध्यापकों में और विश्वविद्यालय में तो उसका फैसला कराने के लिए लवाद (ट्रिब्यूनल) की जो योजना की गई है, वह एक अच्छी योजना है। लेकिन उसमें यह बतलाया गया है कि उसके फैसले के खिलाफ़ अगर अदालत में जाकर कोई उस पर अपील करना चाहे तो उसके लिए उसमें छूट नहीं है। मेरी यह राय है कि इस तरह की रोक लगाना हर हालत में अच्छा नहीं है।

एक बात और रह जाती है। जो स्टैचूट 60 नम्बर का है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनका जो संघ होगा उस की सदस्यता लाजिमी नहीं होगी। मैं यह कहूंगा कि आप उसमें यह तरमीम कीजिये कि जो छात्र लिख कर देगा उपकुलपति को कि वह सदस्य नहीं बनना चाहता है तो वह छूट जाय, जिसको कि 'ग्रौप्ट ग्राउट' कहते हैं। मैं चागला साहब से कहना चाहता हूं कि यह ग्रौप्ट ग्राउट करने का अधिकार तो रखना चाहिए, लेकिन जिस रूप में यह स्टैचूट आपने रखा है उसको नहीं रखना चाहिए।

आखिर में मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। यह राज्य सभा से विधेयक पास होकर हमारे सामने आया है। उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम है। उनका मैं आदर करता हूं। वह एक पूज्यनीय व्यक्ति हैं लेकिन मेरी यह मान्यता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के साथ किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जुड़ना चाहिए चाहे वह मालवीय जी हों या महात्मा गांधी जी हों। इसलिए जिस तरह मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के नाम से मालवीय जी यह शब्द हटाये जायें उसी तरीके से अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में यह सोचा जा रहा है कि सैयद अहमद खां का नाम उसके साथ आयेगा तो मैं यह कहूंगा कि उसमें भी उनका नाम नहीं आना चाहिए और जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसमें से भी यह शब्द हटाने चाहिएं। अगर उसमें रहते हैं तो मैं कहूंगा कि फिर काशी विश्वविद्यालय ने क्या बिगाड़ा है उसमें भी रहना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी राय है कि विश्वविद्यालय के साथ किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री विशनचन्द्र सेठ (एटा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम लोगों को कब बोलने का चांस मिलेगा ?

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Mr. Deputy-Speaker, it was in 1932 when the whole country was in the midst of the national struggle, when the Congress was declared illegal there came on the scene one of the greatest nationalists who came to challenge the British Government of India at its citadel, who sent us a message, 'I am going to preside over this illegal Congress session in Delhi before the very nose of the British Government and anybody who is ready to face bullets may come there'. When this name is now being discussed we cannot afford to forget the contribution of that eminent man with a golden voice. An erudite scholar, a savant, a philosopher, he represented the culture of India. So, today when we are discussing his name, we must not forget his contribution to the progres and to the nationalistic urge of the country.

The addition of words to Kashi Vishwa Vidyalaya was a later innovation when the word 'Hindu' was added. If we delete the word 'Hindu' and propose that Pandit Malaviya's name should be associated, we cannot enhance the prestige and eminence of Pandit Malaviya. The deletion of the word 'Hindu', the concept of which smacks of something which has been found objectionable, is understandable.

In the same year when the Aligarh Muslim University was started, another university was started in East Bengal, the Dacca University, by the British Government to satisfy the Muslim League people who wanted it when the division of Bengal was annulled. I am the first graduate of that university started in 1921. We the students did not allow the Syndicate and the Court of that university to change the name of the university namely Dacca University. It was nicknamed Mecca University because it was a Muslim League sponsored university. We created national atmosphere, an emotional urge, as a result of which that university maintained its high traditions, so much so that after partition, seven Muslim students of that university were shot dead on the language question, and Bengali has been accepted as the State language in East Pakistan over the dead bodies of Muslim students of the Dacca University, in which I was the President of the Union at one time.

The word Hindu smacks of many things, it has a historical context. The Aligarh University has got the word 'Muslim' attached to it. When this word 'Hindu' is deleted to be replaced the words Malaviya Kashi Vishwa Vidyalaya, people are apt to feel rather unhappy, but still it has a significant association to its own past. Today, if you replace the existing name, immediately the pertinent question comes about Aligarh. Again if we remove the word 'Muslim' and put in the name of Sir Syed Ahmed, it leads to fresh complications. We must understand the difficulty which has been created. We must have a realistic picture.

The students have been made to understand that while it is an attempt to take away the word 'Hindu' from the Banaras Hindu University, the Government will somehow avoid removing the word 'Muslim' from the Aligarh University. So, the Hindu students today have been provoked. It is a question of their proper understanding. People have been made to understand that this is not an innocent proposal.

The name of Pandit Malaviya, that eminent man, that great man, that incomparable savant, philosopher who represented the culture of India, should not now be associated with this University for the sake of omitting the word 'Hindu' which obviously smacks of something against secularism. So, I would oppose very strongly the Bill as it has been passed

by the Rajya Sabha. I would say you retain the words Kashi Vishwa Vidyalaya. That is an apt word which gives an idea of the pattern of culture which was sought to be promoted by Pandit Malaviya. That is my concrete proposal, but because this question of Aligarh comes in,—it was discused earlier also in this House,—it is better for the Government to bring in a Bill simultaneously to deal with all denominational universities or colleges which smack of certain communal, caste or other considerations. There are so many colleges with all sorts of names. The Government must go into the matter, take up this challenge, and place before the House a comprehensive Bill. It can then very well change their names, but the moment it seeks to change the name of the Banaras Hindu University and replace the word 'Hindu' by the name of Pandit Malaviya. The outcome is that people have their own misgivings on the score, that the next question regarding Aligarh and other denominational Institutions will be left out. So, it is in the fitness of things that the Government must now come forward with a Bill simultaneously to cover all these things, so that it will be based on a clear concept of what an educational institution should be. So, my definite proposal is this, My hon. friend Mr. Kamath sometimes gets away from us. Yet, now I am prompted to support his proposal. Let us have a committee of both Houses and discuss this, not from any partisan angle but as an educationist and as a student. Let us understand the problem. Nobody should be pressed to do anything. But one should not overlook that the people who are outside may as well be provoked. The young talents have been provoked. It is not unnatural. We have come from the colleges; we know; we left our colleges to challenge the authorities. Personally speaking, I had occasion to challenge the Prime Minister of Bengal; I had to do it.

17 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: You will take more time. Then you may continue tomorrow.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): Before you adjourn the House, I want to raise a point of order on what Mr. Chakraverty said now. Can this House again send this Bill to a Select Committee? Is there a provision in the rules that once the Select Committee has made a report, can it be sent back to a Select Committee, after having been passed in the Rajya Sabha? That is the point.

Mr. Deputy-Speaker: It has been decided in the morning. We take up half an hour discussion.

17·01 hrs.

INDIAN HIGH COMMISSIONER IN KARACHI*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद् में ऐसे अवसर प्राय: कम आते हैं, जब साठ सत्तर सदस्य मिल कर कोई एक प्रश्न उपस्थित करें। परन्तु पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमिश्नर और उन के सहयोगियों के साथ पाकिस्तान की ओर से जो दुर्व्यवहार हुआ, उस से न केवल संसद् में रोष है, जिसको प्रकट करने के लिये सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में इस प्रश्न को उठाया, अपितु इसके विरोध में सारे देश में भी भयंकर क्षोभ व्याप्त है। राजदूत और राष्ट्र-ध्वज, ये दोनों, किसी देश के गौरव के प्रतीक होते हैं। अगर उनके साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है अथवा उनका अपमान किया जाता है, तो उससे देश की संसद् और जनता का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर के साथ पाकिस्तानी सरकार के इशारों पर

*Half-An-Hour Discussion.